न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री दिनेश चंद जैन आई.ए.एस.

राजस्व अपील :: 69/2017 ::

अपीलांटगण :–	बनाम	रेस्पोडेन्टगण :–
गोविन्दराम उर्फ गोविन्दलाल पुत्र स्व. हीराराम जाति लौहार, निवासी कोलीवाड़ा, हाल महावीर कॉलोनी, डॉ. तखतसिंह के अस्पताल के सामने, सुमेरपुर (राज.)		1. लच्छाराम पुत्र हीराराम जाति लौहार, निवासी कोलीवाड़ा, हाल महावीर कॉलोनी, डॉ तखतसिंह के अस्पताल के सामने सुमेरपुर (राज.) 2. श्रीमती पुष्पा पुत्री स्व. हीराराम पत्नी फूलाराम जाति लौहार, निवासी दुजाना, तहसील सुमेरपुर (राज.) 3. श्रीमती रम्बा पुत्री स्व. हीराराम पत्नी शेषाराम जाति लौहार, निवासी गायत्री कॉलोनी, पॉवर हाऊस के सामने वाली गली, सुमेरपुर (राज.) 4. तहसीलदार, सुमेरपुर (पाली)

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–
अधिवक्ता अपीलाण्ट श्री मो. शरीफ काजी
अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 1 की ओर से लक्ष्मण चौधरी

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक –26/3/19

अपीलांट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा ग्राम कोलीवाड़ा पटवार हल्का कोलीवाड़ा के स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 236 दिनांक 07.05.1999 के विरूद्ध पेश की है। अपील म्याद बाहर होने से धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किये गये। अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टगण जरिये सम्मन से व अपीलाधीन रेकर्ड तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

वकील अपीलाण्ट द्वारा वक्त बहस कथन किया कि मौजा कोलीवाड़ा पटवार हल्का कोलीवाड़ा में खसरा नम्बर 1026, 26, 30, 613 व 617 कुल खसरा 5 रकबा क्रमशः 042 है., 0.37 है., 0.31 है., 1.10 है. व 0.64 है. कुल रकबा 2.84 हैक्टयर की स्वअर्जित खातेदारी भूमि उसके पिता हीराराम पुत्र भीकाराम की स्थित थी। जिसके संबंध में उसके पिता ने अपने जीवनकाल में ही एक पंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 07.07.1995 के उप पंजीयक, सुमेरपुर के कार्यालय में पुस्तक संख्या (1) जिल्द संख्या 3 के पृष्ठ संख्या 22 पर पंजीयन करा कर अपीलाण्ट गोविन्दराम के हक में निस्पादित कर दिया था। अपीलाण्ट के पिता का देहान्त दिनांक 12.02.1999 हो जाने से जैर अपील आराजी का फौतेदगी नामान्तरकरण वसीयतनामें के आधार पर अपीलाण्ट के हक में भरने हेतु, उसने उक्त वसीयत की नकल पटवारी हल्का कोलीवाड़ा को पेश कर राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करने का निवेदन किया। लेकिन पटवारी हल्का ने जैर अपील नामान्तरकरण संख्या 236 उक्त वसीयतनामें को नजरअंदाज करते हुए, रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से मिलावट करते हुए अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 3 के नाम भर दिया, जो विधी सम्मत

जिला कलेक्टर, पाली

नहीं होने से खारिज योग्य है। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 3 ने अपीलाण्ट को दिनांक 25.06.2010 को उक्त नामान्तरकरण के आधार पर जैर अपील खातेदारी भूमि को बेचाण करने की धमकी देने पर, अपीलाण्ट को यह ज्ञात हुआ की जैर अपील आराजी का नामान्तरकरण उसके नाम न भरा जाकर, उसके व रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 3 के नाम भरा गया है, तब उसने हल्का पटवारी कोलीवाड़ा से दिनांक 30.06.2010 को जैर अपील नामान्तरकरण की प्रति प्राप्त कर अपील श्रीमान के समक्ष पेश की गई, जिसे जानकारी से अन्दर म्याद शुमार फरमाकर जैर अपील नामान्तरकरण निरस्त करावें तथा अपीलाण्ट के नाम पंजीकृत वसीयतनामें के आधार पर इन्द्राज करने के आदेश फरमावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने वक्त बहस कथन किया कि अपीलाण्ट गोविन्दराम व रेस्पो. संख्या 1 से 3 सगे भाई बहन है। इनके पिता हीराराम पुत्र भीकारामजी का देहान्त दिनांक 12.02.1999 को हो गया था तथा जिसका फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 236 हल्का पटवारी द्वारा बाद जांच एवं सुनवाई के हीराराम के विधिक वारिसाान के नाम दिनांक 07.05.1999 को भरा गया, जिसको जानकारी अपीलाण्ट को थी तथा उनके पिता के निधन के पश्चात से ही अपीलाण्ट अपने हिस्से की आराजी पर काबिज है। लेकिन अपीलाण्ट उक्त नामान्तरकरण दर्ज होने के लगभग 11 वर्ष पश्चात एक वसीयतनामें के आधार पर अपील न्यायालय में पेश की है। जो प्रथम दृष्टया ही म्याद बाहर होने से काबिल निरस्त है। अपीलाण्ट ने स्वयं अपने अपील मीमों के पैरा संख्या 5 में उल्लेख किया है कि उसको पटवारी हल्का द्वारा नामान्तरकरण की नकल दिनांक 30.06.2010 को प्राप्त हुई एवं अपील दिनांक 28.10.2010 को चार माह पश्चात न्यायालय में पेश की है, जिससे भी अपील अपीलाण्ट म्याद बाहर होना स्पष्ट होने से खारिज योग्य है। अपीलाण्ट जिस वसीयतनामें के आधार पर जैर अपील आराजी को स्वयं का बता रहा है, उसकी प्रति अधिवक्ता अपीलाण्ट ने प्रकरण दर्ज होने के लगभग 9 वर्ष पश्चात दिनांक 22.01.2019 को न्यायालय में पेश की है तथा इसकी प्रति अधिवक्ता रेस्पों को दिनांक 19.02.2019 को प्राप्त हुई है। अगर अपीलाण्ट उक्त वसीयतनामें के आधार पर किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करना चाहता है, तो इस संबंध में सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करना ही एक मात्र उपचार है। ऐसा इसलिए नहीं किया गया कि जैर अपील आराजी उनके पिता द्वारा स्वअर्जित नहीं है तथा उनको विरासत में प्राप्त हुई है। जिसकी वसीयत करने का उनको विधिक अधिकार नहीं था। नामान्तरकरण एक सम्मरी कार्यवाही के द्वारा पारित किया जाता है। अपीलाण्ट वसीयतनामें के आधार पर पिता की पुश्तैनी सम्पती का मालिक बनना चाहता है जो न्यायोचित नहीं होने से अपील अपीलाण्ट खारिज फरमाई जावे।

विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड का अवलोकन किया गया। अपीलाण्ट ने अपील उसके पिता की मृत्यु के लगभग 11 वर्ष पश्चात एवं उसको पटवारी हल्का से उक्त नामान्तरकरण की नकल प्राप्त होने के चार माह पश्चात दिनाक 28.10.2010 को न्यायालय में पेश की है, जबकि अपील प्रस्तुत करने की विधी सम्मत समयावधि 30 दिवस निश्चित है। अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा उक्त समयावधि के संबंध में किसी प्रकार का साक्ष्य सम्मत कथन नहीं किया है, लेकिन न्यायहित में जैर अपील पक्षकारान के हक अधिकारों से संबंधित होने से अपील जानकारी से अन्दर म्याद शुमार की जाती है। अपीलाण्ट एवं रेस्पों. संख्या 1 से 3 के पिता हीराराम का देहान्त दिनांक 12.02.1999 को हो जाने से तथा उसके पश्चात

जिला कलेक्टर, पाली

उनका फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 236 दिनांक 07.05.1999 तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा पारित किया गया, जिसमें तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा अंकित नोट जिसमें पुत्रों एवं पुत्रीयों के नाम दर्ज करे उल्लेखित है, इससे स्पष्ट है कि जैर अपील नामान्तरकरण बाद सुनवाई एंव जांच के ही दर्ज किया गया है, जो न्यायोचित है। अपीलाण्ट जैर अपील आराजी को उसके हक में उसके पिता द्वारा जारी पंजीकृत वसीयतनामें के आधार पर दर्ज कराने हेतु प्रस्तुत की है एवं उक्त वसीयतनामें के आधार पर अपने पिता की खातेदारी भूमि को अपने नाम इंद्राज कराने हेतु निवेदन किया, लेकिन जैर अपील आराजी उसके पिता द्वारा स्वअर्जित की गई है, इस संबंध में कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है, न ही नामान्तरकरण अपील में इस तथ्य की समीक्षा ही की जा सकती है। अगर जैर अपील आराजी अपीलाण्ट के पिता हीराराम की स्वअर्जित आराजी है तो उक्त वसीयतनामें के आधार पर अनुतोष प्राप्त करने के लिए सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर सकता है। नामान्तरकरण एक सम्मरी कार्यवाही है तथा अपीलाण्ट उक्त अनुतोष इस अपील के आधार पर पाना चाहता है, जो विधी सम्मत नहीं है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर जैर अपील नामान्तरकरण मातहत आदलत द्वारा विधिक वारिसान की जांच के बाद उसके पुत्रों एवं पुत्रीयों के नाम दर्ज किया गया, जो एक निर्विवादित तथ्य है, न ही इस बाबत अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 3 को इस संबंध में आपत्ती है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर मातहत अदालत द्वारा जैर अपील नामान्तरकरण पारित किया गया, जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है।

परिणामस्वरूप अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है तथा तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा स्वीकृत अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 236 दिनांक 07.05.1999 को यथावात रखा जाता है। तहसीलदार सुमेरपुर को निर्णय की प्रति के साथ मूल नामान्तरकरण संख्या 236 पालनार्थ लौटाया जावें।

निर्णय आज दिनांक 26/3/19 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश चंद जैन)
जिला कलेक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)